राजस्थान में सामन्तवाद – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

***ललित कुमार पंवार**

शोध सारांश

राजस्थान में सांमत व्यवस्था रक्त सम्बंध पर आधारित कुलीय प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी जिसमें राजा समकक्षों में प्रमुख होता था राज्य को एक परिवार और राजा को उसका प्रमुख मानते हुए सामंत, परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी सुरक्षा और संचालन का उत्तरदायित्व राजा और सामंत सामुहिक रूप से मानते थे। वस्तुतः जागीर फारसी शब्द है जो दो शब्द जय + गीर का संयुक्त रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ है– राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था। राजस्थान में सामंतवाद विभिन्न स्वरूप में विद्यमान था। हर रियासत के सामंतों की पदवी व पदनाम भिन्न–भिन्न थे और दरबार में उनका स्थान भी निश्चित था। राजा व प्रजा के मध्य सामंत एक व्यवस्था का रूप थे जो शासन नीति को प्रजा पर लागू करने का कार्य करते थे।

सामंत व्यवस्था का अर्थ व उदय –

ब्लेट व जीन – ''जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से उपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता वह स्वत्व क्षेत्र 'फ्यूड' कहलाता था ऐसे एक या अनेक क्षेत्र के स्वामी फ्यूडल लार्ड के नाम से जाना जाता था।''

जे. सदरलैण्ड – ''राजनैतिक संगठन की यह व्यवस्था राजा की इच्छा से संचालित होती थी किन्तु इस इच्छा पर शक्तिशाली परम्परागत सरदारों का निर्देशन व नियन्त्रण रहता था।''

सर अल्फ्रेड लायड – ''जागीरो व केन्द्रीय सत्ता का यह संगठन राजपूत जाति और उसके गौत्र रचना पर आधारित था। गौत्र का प्रमुख नप या शासक और अन्य प्रमुख लोग शासक के अधिकारों पर आश्रित अधीन शासक यहीं सामन्तवाद का स्वरूप था।''

जेम्सटाड – ''राजस्थान का राजनीतिक संगठन निश्चित ही सामन्तशाही था जिसमें सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति भूमिपतियो के एक वर्ग के हाथों निश्चित थी।''

गोपीनाथ शर्मा – ''राजस्थानी सामन्त पद्धति एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप है जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता हैं और उसके साथ उसी के वंशज अथवा अन्य जाति के वंशज उसके साथी व सहयोगी बने रहते है।''

इस व्यवस्था का प्रारम्भ कब व कैसे हुआ इसमें प्राय मतभेद हैं।

- प्रो. राय चौधरी ने इसका उदय छठी शताब्दी माना है।

- प्रो. आर. एस. शर्मा ने चौथी शताब्दी में सामंत व्यवस्था का प्रारम्भ होने से सम्बन्धित तर्क देते हुए ग्याहरवीं व बारहवीं शताब्दी में विकसित हुआ स्वीकार किया।
- रूसी इतिहासकार कोवालस्की ने इसे मुस्लिम आक्रमण के बार विकसित माना है।
- कर्नल टॉड ने इग्लैण्ड की फ्युडल व्यवस्था के समान इसे माना है।

सामन्तवाद की विशेषताओं में –

डॉ. परमात्मा शरण – ''राजपूतों की सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रणाली की उत्तराधिकारी व स्वदेशी थी।''

1. **रक्त सम्बंध** – सामन्त अधिकतर राजा के रक्त सम्बंधी होते है बाद में अन्य जाति के कुलीन लोग की जागीरदार बनाये गये। कि ऐसे जागीरदारों का मान सम्मान राजपूत जाति या वंश के सामन्त से अधिक नहीं हो सकता।
2. **कुल धारणा** – राजा के वंश वाले अथवा जाति वाले अन्य लोग शासक की तरह पैतृक सम्पति व अधिकारों का उपयोग करते थे मेवाड़ में सिसोदिया, मारवाड़ में राठौड़, कोटा–बूंदी में हाड़ा आदि के भाई–बान्धव राज्य में अपने अधिकार को बपौती मानते है।
3. **राज्य की साझेदारी** – डॉ. ए.सी. बनर्जी ''राज्य राजा के वंश वाले लोगों अथवा जाति के सदस्यों की साझेदारी का साधन था। देश पर मर मिटना सभी का परम कर्त्तव्य था। अपने वंश के लोगो को जागीर देना पैतृक सम्पति का हिस्सा देना माना जाता था।''
4. **स्वामिभक्ति** – शासक व सामन्त का सम्बंध मालिक नौडर का नहीं बल्कि अग्रज व अनुज का था।
5. **अग्रज–अनुज जैसी समानता** – शासक व सामन्त के सम्बन्धों के आदर व सम्मान की भावना निहित थी। सामन्तों के सामाजिक राजनैतिक स्तर के अनुसार शासक उनको सम्मान देता और उसी के अनुरूप आदर पाता था।
6. सैनिक सेवा की अनिवार्यता – सामन्त अपनी सेना सहित व्यक्तिगत सेवा के लिए राज्य आमंत्रण पर सदैव तत्पर रहते थे प्रत्येक सामन्त अपने वंश, जाति, देश तथा स्वामी गौरव के लिए तन, मन, धन से सेवा करने को तत्पर रहता था।

	नाम राज्य	**खालसा भूमि**	**जागीर भूमि**
1.	जोधपुर	14.2:	85.8:
2.	मेवाड़	25:	75:
3.	जयपुर	31.3:	68.7:
4.	बीकानेर	32:	68:
5.	कोटा	75:	25:
6.	अलवर	88:	12:

सामन्तवाद का स्वरूप

(क) मेवाड़ राज्य
- उमराव
- राव
- सरदार

(ख) मारवाड़ राज्य
- राजवी
- सरदार
- गनायत
- मुत्सदी

(ग) आमेर
- बारह कोटड़ी
- ताजवी
- खास चौकी

(घ) कोटा
- देशथी
- हजूर

(ङ) जैसलमेर
- 1. भाटी राजपूत (जीमणी यानि दायीं मिसल)
- 2. राठौड़ राजपूत (डावी यानि बायीं मिसल)
- 3. रावजी (रावल के निकट सम्बंधी)
- 4. रावलोत (रावल के दूर सम्बंधी)

मारवाड़ राज्य –

राजवी – राजा के समीपस्थ सम्बंधी थे। इनकी जागीर तीन पीढ़ियों तक रेख की राशि से मुक्त होती थी बाद में ये साधारण श्रेणी के हो जाते थे।

1. **सरदार** – ये राजपरिवार के अतिरिक्त सामन्त होते थे। इनकी श्रेणी शिरायत ये दो पंक्तियों में राजा के दाये व बाये बैठते थे रणमल के वंशज दाये व जोधा के वंशज बाये बैठते थे।

   दोहरी ताजीब – इसके आने व जाने पर शासक उठकर अभिवादन करता था।

   बाह पसाव – ये अपनी तलवार चरणों में रखकर महाराजा का घुटना छूते थे शासक इनके कंधो पर हाथ रखते थे।

   कुरब – शासक इनके कंधो पर हाथ रखकर छाती तक ले जाता था। शिरायतो की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया जाता था।

2. **गनायत** – ये राठौड़ो के अतिरिक्त सामन्त होते थे इनमें :–

   1. राठौड़ो के राज्य से पूर्व अवस्थित क्षेत्रपति
   2. वैवाहिक सम्बंधों द्वारा बने सम्बंधी

3. **मुत्सदी** – ये प्रशासनिक कार्यो के बदले प्रदत्त जागीर के स्वामी थे।

(ग) आमेर राज्य – बारह कोटड़ी पृथ्वीराज के बारह पुत्रो को प्रदत्त जागीरे, भारमल के समय से इन्हें कोटड़ी कहा जाने लगा।

1. ताजवी 2. खास चौकी

1. **ताजवी** – इन्हें खास हुक्का भेजना पड़ता था बुलाने के लिए इन्हें विदा करने पर शिरोपा (वस्त्राभूषण) दिये जाते थे। इन्हें पैरो में सोना पहनने का अधिकार था।

(घ) कोटा राज्य – 1. देशथी 2. हजूर

1. इन जागीरदारों को राज्य में रहकर राज्य की सेवा करनी होती है।
2. अपने शासक के साथ मुगल सेना में रहने वाले सामन्त कहलाते है।

(ड़) जैसलमेर राज्य

1. भारी राजपूत (जीमणी यानि दायी मिसल)
2. राठौड़ राजपूत (डावी यानि बायी मिसल)
3. राव जी – रावल के निकट सम्बंधी
4. रावलोत – रावल के दूर सम्बंधी

जैसलमेर के सामन्तों से रेख, तलवार बन्धवायी नही ली जाती थी। शासक की ओर से सामन्त को शिरोपा भेजा जाता था। नई फसल बोने व कुआ खुदवाने पर शासक की अनुमति आवश्यक थी।

(च) बीकानेर राज्य – बीकानेर के रायसिंह द्वारा मुगल सेवा स्वीकार करने के बाद पट्टा प्रणाली आरम्भ की गई थी इसके अन्तर्गत आपसी सम्बंध स्वामी व दास के होते थे प्रथम श्रेणी राव बीका के वंशज द्वितीय श्रेणी अन्य वंश के स्थानीय या बाह्य राजपूत वंश के सरदार (ये वंशानुगत होते थे) तृतीय श्रेणी मुत्सदी (ये अधिक प्रभावशाली होते थे)।

भोमिया – इसके अन्तर्गत शासक के लिए अपना बलिदान करने वाले दुर्गम स्थानों पर राज्य की व्यवस्था बनाये रखने वाले सीमान्त प्रदेश की रक्षा करने वाले व पैतृक सम्पति के रूप में व्यक्तिगत भूमि के अधिकारी शामिल थे इन्हें जागीर से हटाया नहीं जा सकता था और इनसे रेख भी नहीं ली जाती थी।

1. मेवाड़ – चुण्डावत वंश के लोग, कोगणा, जबास, जूड़ा
2. मारवाड़ – सांचौर के चौहान, मालानी के ठाकुर
3. जयपुर – खेतड़ी उनियारा व सीकर

भौम का स्वामित्व सबसे बड़े पुत्र का होता था अन्य पुत्र केवल रोटी के अधिकारी होते थे।

गरासिया – इन्हें इनकी सेवाओं के बदले रोटी खर्च की भूमि प्रदान की जाती थी इस भूमि को सेवा न करने पर अधिग्रहित किया जा सकता था मराठा काल में गरासिया राजपूतों को रसद पहुंचाते थे और आंग्ल संरक्षण में डाक लाने ले जाने का कार्य करते थे।

सामन्ती – प्रशासन व सामंतों के अधिकार व कर्त्तव्य

- सामन्त अपने देश का सर्वोच्च अधिपति होता था।
- उसे अपने क्षेत्र से उसी प्रकार कर लगाने व लेने की स्वतंत्रता थी जैसे कि उसके शासक के क्षेत्र में थी।
- कोई भी सामन्त युद्ध व संधि के लिए स्वतंत्र नहीं था।

- सामन्त अपने आवास के लिए रावले बनाते थे जो गांव याा नगर के छोर पर होते थे उसके आसपास दुर्ग की शैली में बस्ती को घेरते हुए दीवार बनी होती थी।
- सामन्त को अन्य सामन्तों के साथ मिलने जुलने पर प्रतिबंध था।
- सामन्तों के झगड़ों का निर्णय शासक करता था।

1. **शासक को मंत्रणा** – (क) राजनीतिक मंत्रणा देश पर संकट के समय राजनीतिक कूटनीतिक व सैनिक कार्यवाहियों की मंत्रणाएं इसमें सम्मिलित थी राणा सांगा द्वारा बाबर को सहायता न देने का निर्णय सामन्त मंत्रणा द्वारा लिया गया।

(ख) सामाजिक व आर्थिक मंत्रणा – उत्तराधिकारी के प्रश्न पर शासक की निःसन्तान मृत्यु होने पर पगड़ी बंधी प्रथा प्रचलित थी इसके उपलक्ष में उत्तराधिकारी सामन्त द्वारा शासक को भेट दी जाती थी विवाह के समय विवाह कर्ता को भेट दी जाती थी शासक अथवा सामन्त के विवाह पर पूजा द्वारा कुछ भेट दी जाती थी जो कालान्तर में लाग के रूप में विकसित हुई।

2. **जागीर** – प्राप्त जागीर के बदले प्राप्तकर्ता सामन्त को शासक की व्यक्तिगत सैनिक व आर्थिक सेवा करनी होती थी कर्त्तव्यों पालन न करने पर इसे अधिगृहित किया जा सकता था। जागीरों का इस विक्रय नहीं किया जाता था किन्तु 12 वीं सदी के उतरार्द में कर्जदार सामन्तों द्वारा जागीरो के अंश गिरवी रखने के उदाहरण होते है।
3. **नेक** – नूत (भेट – उपहार) – सामाजिक धार्मिक व उत्सवपूर्ण कार्यो के समय शासक को सामन्त द्वारा व सामन्त को उसके अनुसामन्त द्वारा आर्थिक भेंट प्रदान की जाती थी इस परम्परा की विकृति ने लाग के रूप में शोषण को जन्म दिया मेवाड़ में शासक के राज्यारोहण के समय और उसके उत्तराधिकारी के प्रथम विवाह पर प्रथम श्रेणी के सामन्तों से 500 रू. व दो घोड़े अन्य श्रेणी के सामन्तों से आय का 2ः लिया जाता था।
4. **सैनिक सेवा** – सामन्तों के लिए यह अनिवार्य था कि वे युद्ध तथा शांतिकाल में शासक द्वारा बुलाये जाने पर आवश्यक सेना लेकर उपस्थित हो। समय के साथ – साथ सैनिकों की संख्या निश्चित की गई जिसके अन्तर्गत आय के अनुसार सैनिक भेजने होते थे उदाहरण के लिए मेवाड़ में 1000/– वार्षिक आय पर 2 से 3 सैनिक सवार, मारवाड़ में एक सैनिक सवार, जयपुर में एक सैनिक सवार रखना होता था।

सामन्तों का वर्गीकरण पद प्रतिष्ठा एवं मान–सम्मान के अनुसार होता था।

सामन्तों का स्तरीकरण ऊच नीच के अनुसार नही होता था राव चूण्डा के त्याग के फलस्वरूप पिता लाखा द्वारा राठौड़ हंसा बाई से विवाह करने के कारण गद्दी त्याग दी उत्तराधिकारी मोकल हुआ (1382–1397) उसके वंश को शासक के राजतिलक करने परामर्श के अधिकार प्राप्त थे लेकिन झाला अजा द्वारा खानवा के युद्ध में बलिदान करने के कारण चूण्डावतो से अधिक सम्मान प्राप्त था।

चूण्डावत सामन्त – रावत, शक्तावत सामन्त, महाराज, शाहपुरा राजधिराज सामन्तों के बैठने के क्रम से भी मान–सम्मान अभिव्यक्त होता था जैसे शासक के पास दायी और बायी और सामने बैठने खड़े रहने से मान–सम्मान अभिव्यक्त होता था। सामन्तों को दी जाने वाली ताजीब से भी इनका मान–सम्मान प्रकट होता है। (सामन्त के दरबार में उपस्थित होने पर शासक खड़े होकर स्वागत करता इकवाड़ी व दोवड़ी)

सामन्तों की स्वेच्छा चारिता पर शासक के नियंत्रण हेतू –

1. **जब्ती अथवा कैद** – सामन्त की मृत्यु के बाद नवीन सामन्त की राज्य द्वारा पुष्टि होने तक मृत सामन्त की जागीर पर राच का अधिकार रहता था।

2. **रोजाना** – राजज्ञा की अवेहलना करने पर शासक द्वारा सामन्त के क्षेत्र में सैन्य दल भेज दिया जाता था। सामन्त को इसकी रसद का प्रबंध तब तक करना पड़ता था जब तक कि वह राजाज्ञा का पालन न करे।
3. **धौंस व दस्तक** – सामन्त की छोटी–छोटी त्रुटियों पर भेजा जाने वाला दल धौंस व धौंस पर हुए खर्च की क्षतिपूर्ति दस्तक थी।
4. **दरबारों में उपस्थिति** – सामन्तों के लिए यह आवश्यक था कि वे प्रति वर्ष एक निश्चित अवधि के लिए शासक के दरबार में उपस्थित रहे विशेष अवसरों जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा आदि पर भी दरबार में उपस्थित रहना आवश्यक था।

सामन्तवाद की आलोचनात्मक विवेचना में हम उनके गुण व अवगुण को ढूंढते है। उनके अवगुणों में –

1. उत्तराधिकार नियम के कारण भूमि का विभाजन आवश्यक था जिससे भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े होते थे।

   मैक – ''सूर्य व चन्द्र के लाल तथा अग्निपुत्र अपनी परम्परा को भूलकर शौर्य की बजाय शराब व व्याभिचार के वासन से भी बंध गये वे कर्ज में डूब गए।''
2. शासक प्रत्येक कार्य के लिए सामन्तो पर निर्भर होने लगा राज्य के उत्तराधिकारी मनोनीत करने में सामन्त की अनुमति आवश्यक हो गयी परिणामस्वरूप शासन में कुव्यवस्था हो गयी।
3. सामन्तो की स्वेच्छाचारिता प्रवृति को प्रोत्साहन मिला। राजस्थान का सामन्तवाद आर्थिक शोषण का केन्द्र था राज्य भक्ति का स्थान व्यक्ति सेवा ने ले लिया राज्य निर्बल हुआ और राज्य के शासको को मुगल, मराठा व अंग्रेजो का संरक्षण लेना पड़ा।
4. राज्य का विकास अवरूद्ध हुआ।
5. महाजन वर्ग को शक्तिशाली बनाने में सामन्तो का सहयोग अथवा सा. विघटन

सामंतों के गुणों में प्रमुखतः :–

1. शासक की शक्ति वृद्धि का आधार।
2. राजपूत राज्य की एकता के माध्यम।
3. राजा व प्रजा के मध्य आवश्यक कड़ी।
4. राजतंत्र की स्वेच्छाचारिता पर अकुंश।
5. कला व संस्कृति का पोषण।

***सहायक आचार्य**
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिर, बी.बी. – हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू इन मारवाड़, 1914, पृ. 47
2. रेऊ, पं. विश्वेश्वरनाथ – ग्लोरिज ऑफ मारवाड़ एण्ड द ग्लोरियस राठौड़स, जोधपुर, 1943, पृ. 103–104

3. शर्मा, दशरथ –राजस्थान थ्रू दी एजेज, बीकानेर 1966, पृ. 96
4. सेटो, मासानोरी और – इकॉनोमी एण्ड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर 1997, पृ. 198
5. दत्ता, कालिकिनकर – सर्वे ऑफ इंडियाज् सोशियल लाइफ एण्ड इकॉनोमिक कंडिशन इन द एटिन्थ सैन्चुरी (1707–1813), कलकत्ता 1961, पृ. 176–178
6. आसोपा, रामकर्ण – मारवाड़ का मूल इतिहास, जोधपुर 1931 इतिहास निंबाज 1963, पृ. 90–92
7. एंग्रिस, प्रेम – मारवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, जोधपुर 1991, पृ. 79–81
8. ओझा, गौ.ही. – राजस्थान का इतिहास, भाग 1–5, अजमेर 1926, पृ. 41
9. ओझा, पी.एन. – मुगलकालीन भारत का सामाजिक जीवन, दिल्ली 1984, पृ. 51
10. गहलोत, जगदीश सिंह – मारवाड़ राज्य का इतिहास, जोधपुर 1925 राजपूताने का इतिहास, जोधपुर भाग 1–3, 1937–1966, पृ. 113–115
11. टॉड, कर्नल जेम्स – पश्चिमी भारत की यात्रा, अनु. गोपाल नारायण बहुरा 1965, पृ. 4, 11, 92
12. पेमाराम – मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आन्दोलन, वनस्थली, 1977, पृ. 177
13. बारहठ, शिवदत्तदान – जोधपुर राज्य का इतिहास, जयपुर 1982 अजीत विलास, जोधपुर 1984, पृ. 217–219
14. भाटी, हुकुमसिंह – राजस्थान के मेड़तिया राठौड़, जोधपुर 1986 सोनगरा व सांचौरा चौहानों का इतिहास, जोधपुर 1987, पृ. 179–180